प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र
की संस्थाएं।

संख्या:प्राशिप/अनु०3/2021/1417 लखनऊ: दिनांक: 14/08/2021

विषय:- सम-सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा-2021 में सेमेस्टर सिस्टम (अंतिम सेमेस्टर) एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के छात्र/छात्राओं हेतु पंजीकरण एवं माक टेस्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक प्राशिप/अनु०3/2021/1375 लखनऊ: दिनांक 11.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आगामी सम-सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा-2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश के साथ-साथ छात्र/छात्राओं के पंजीकरण एवं माक टेस्ट हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी थी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सेमेस्टर सिस्टम (केवल अंतिम सेमेस्टर) एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण किये हुए छात्र/छात्राओं का पंजीकरण एवं माक टेस्ट एवं ऑनलाइन परीक्षा हेतु **upbteexam.in** लिंक का प्रयोग किया जायेगा। छात्र/छात्राओं के सहूलियत के लिए username **(यूजर नेम उनका एनरोलमेंट नम्बर निर्धारित किया गया है)**, **password** उनके युराइज पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किया गया है साथ ही **युराइज पोर्टल पर STUDENT LOGIN के अन्दर EXAM TIME TABLE टैब पर क्लिक करने पर सम्बंधित छात्र/छात्रा का User Name, Password, Online exam ka link(जिसके माध्यम से छात्र/छात्रा को पंजीकरण, माक टेस्ट एवं परीक्षा में सम्मिलित होना है), Exam Schedule की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।** सभी छात्र/छात्राओं हेतु पंजीकरण एवं माक टेस्ट का लिंक दिनांक 17.08.2021 की रात 12:00 बजे तक (24x7) सतत रूप से चलता रहेगा किन्तु किसी छात्र/छात्रा को पंजीकरण या माक टेस्ट के दौरान तकनिकी समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नम्बर पर सुबह 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक चालू रहेगा साथ ही किसी प्रकार की तकनिकी समस्या हेतु upbteexam@gmail.com ईमेल भी किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें साथ ही यह सुनिश्चित हो ले कि आपकी संस्था में अध्ययनरत सेमेस्टर सिस्टम (केवल अंतिम सेमेस्टर) एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के समस्त छात्र/छात्राओं ने पंजीकरण एवं माक टेस्ट दिनांक 17.08.2021 के सायं 6:00 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली है इस हेतु अपनी संस्था में कार्यरत विषय अध्यापक/कक्षा अध्यापक को निर्देशित करते हुए स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित छात्र/छात्रा एवं संस्था प्रधानाचार्य का होगा।

भवदीय

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

Scanned with CamScanner

पृ०सं०:-प्राशिप/अनु०3/2021/1518-23 तद्दिनांक: 14/08/2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ को विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर को सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुंदेलखंड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस आशय से कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित संस्थाओं प्रधानाचार्य को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने एवं स्वयं के स्तर से भी मॉनिटरिंग करवाने का कष्ट करें।
5. नोडल अधिकारी, यू-राइज, प्राविधिक शिक्षा को इस आशय के साथ कि उपरोक्त ऑनलाइन परीक्षा के दिशा-निर्देश पोर्टल, SU LOGIN एवं STUDENT LOGIN में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, कंप्यूटर अनुभाग, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ऑनलाइन परीक्षा हेतु दिशा-निर्देश परिषद की वेबसाइट bteup.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

Scanned with CamScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्रा0शि0प0/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊः दिनांक 10-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

[illegible]

[illegible]

"जिला [illegible] में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदित विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदित विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदित विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को [illegible] सत्र 2020-21 हेतु [illegible]

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]
सचिव

पृ0सं0– [illegible]/2020/ 1072-2441 — दिनांक 15-[illegible]-2020

प्रतिलिपि– [illegible]

[illegible]
सचिव

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:–प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ: दिनांक 15-5-2019

:–कार्यालय ज्ञाप–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय [illegible] शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सत्र 2019–20 हेतु [illegible] संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] सम्बद्धता समिति की बैठक के [illegible]–17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम [illegible] संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019–20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परन्तु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

[illegible] निम्नानुसार नवस्थापित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	श्री [illegible] कॉलेज ऑफ फार्मेसी, [illegible] [illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
✓ संस्था [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमावली [illegible] [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा [illegible] रू० 30,150.00/– प्रतिवर्ष की [illegible] तथा [illegible] उ०प्र० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 45,000.00/– प्रतिवर्ष एवं [illegible] पाठ्यक्रमों [illegible] रू० 22,500.00 अतिरिक्त शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। [illegible] के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क [illegible] [illegible] शासन द्वारा निर्धारित किये जाने [illegible] कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। [illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्रा0शि0प0/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

–:कार्यालय ज्ञाप:–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु [illegible] नई तकनीकी की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया –

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible] कॉलेज ऑफ फार्मेसी [illegible] एण्ड [illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित और सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, संशोधित नियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत किये गये आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 90,180.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राप्त करेगी/[illegible]

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- सचिव/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 **लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021**

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1216-SHRI LALA RAM SHARMA COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST-JARARA TEHSIL-KHAIR,ALIGARH-202138

क्र0सं0	**पाठ्यक्रम का नाम**	**ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**	**परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/ छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का